न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

पुनरीक्षण क्रं. / 2013 R 1419- III /13

1. सुनवा राठौर आत्मज नंदू राठौर आयु 65
2. श्यामलाल राठौर आमज कन्दू राठौर

दोनों निवासी ग्राम जैतहरी वार्ड क्रं. 3
थाना तहसील जैतहरी जिला अनूपपुर

...... निगरानीकर्ता / आवेदकगण

बनाम

1.. नत्थूलाल पिता लक्ष्मीनारायण सराफ (मृत)

(अ) भीखम सराफ आत्मज स्व. नत्थूलाल सराफ

2. कमला देवी बेवा सत्य नारायण सराफ
3. संजय आत्मज सत्य नारायण सराफ
4. अनूप आत्मज सत्य नारायण सराफ
5. अजय आत्मज सत्य नारायण सराफ

सभी निवासी कोतमा थाना व तहसील
कोतमा जिला अनूपपुर (म.प्र.)

6. हंसलाल आत्मज नोहरा राठौर
7. केशव पिता जागेश्वर (मृत)

अ) मु. नेमिया बेवा केशव राठौर
ब) प्रेमलाल आत्मज केशव राठौर
स) रामगोपाल आत्मज केशव राठौर
द) तोते आत्मज केशव राठौर
य) कुटसर्वाइ पुत्री केशव राठौर

र) चन्द्रवती पुत्री केशव राठौर

ल) राधा वती पुत्री केशव राठौर

8. सुकवरिया पुत्री जागेश्वर राठौर

आवेदक कं. 6 ता 8 सभी निवासी ग्राम जैतहरी थाना व तहसील जैतहरी जिला अनूपपुर (म.प्र.)

.... अनावेदकगण

न्यायालय कलेक्टर, अनूपपुर द्वारा प्रकरण कमांक 29/ निगरानी/ 06–07 में पारित आदेश दिनांक 21.1.2013 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण ।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार प्रस्तुत है –

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य –

1– यह कि, विवादित भूमि सर्वे कमांक 117/ 892 व 117/ 897 के विषय में तथिाकथित सन 1950 के पटटा का उललेख करते हुये नत्थूलाल आदि द्वारा विवादित भूमि उनके नाम किये जाने हेतु तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन किया गया। जो राजस्व प्रकरण कमांक 19/अ–74/2000–2001 पर दर्ज होकर आदेश दिनांक 15.12.2000 द्वारा खारिज किया गया ।

2– यह कि, नत्थूलाल द्वारा पुनः उपर्युक्त भूमि का आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया जो राजस्व प्रकरण कमांक 2/ अ–6/02–03 में पारित आदेश दिनांक 18.3.2003 द्वारा इस निष्कर्ष के साथ खारिज किया गया कि वि. लि. मु. नं. 2 दिनांक 17.11.1950 पेश नहीं किया गया ।

3– यह कि, नत्थूलाल आदि द्वारा पुनः तीसरी बार उपर्युक्त फर्जी पटटे के आधार पर तीन सर्वे कमांक 343, 344 व 346 के विषय में तहसीलदार महोदय के

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1419–तीन/2013 जिला अनूपपुर

सुनवा आदि विरूद्ध नत्थूलाल आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
25–2–2019	आवेदक की ओर से श्री विनोद भार्गव अभिभाषक उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर जिला अनूपपुर के प्रकरण कमांक 29/निगरानी/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 21–1–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 12–4–2019 को आयुक्त शहडोल संभाग के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 25/2/2019 (आर0के0 जैन) सदस्य	